राजस्व वादपत्र संख्या :– 30/2009

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, पूगल जिला बीकानेर

..... वादी

बनाम

गणेशाराम वल्द देराजराम व नारायणराम वल्द गणेशाराम कौम जाट साकिन मूण्डासर तहसील व जिला नागौर।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक :–

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व, पूगल वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 63(V), 177 (ए) आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 2020**

यह वादपत्र पैरोकार राज की ओर से तहसीलदार राजस्व, पूगल ने अतन्तर्गत धारा 63(V), 177 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादी के नाम चक 2 बीएलडी पटवार मण्डल 2 एडीएम के मु.न. 227/37 के कि.न. 19 कुल 1.00 बीघा अनकमांड भूमि लघू भू–पटटी आवंटन गणेशाराम वल्द देराजराम जाति जाट साकिन 2 बीएलडी के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं कि.न. 20 की 0.10 बीघा खातेदार दर्ज रिकार्ड है इसी मु. न. 227/37 के कि.न. 20 की 0.10 बीघा भूमि नारायणराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट साकिन मूण्डासर तहसील व जिला नागौर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार ने वादपत्र प्रस्तुत कर इस खातेदारी को इस विनाय पर निरस्त करने का निवेदन किया है कि खातेदार द्वारा मु.न. 227/37 के कि.न. 19, 20 में अवैध जिप्सम की फैक्ट्री लगा रखी है। यह अवैध फैक्ट्री बिना किसी अनुमति के चल रही है जो गैर कानूनी है। भूमिधारक ने अपने वादपत्र के साथ पटवारी हल्का 2 एडीएम की रिपोर्ट, आवंटित भूमि की जमाबन्दी की नकल पेश की है।

प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। तामिल कुनिदां की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी स्वयं उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी द्वारा निर्मित अवैध चुना फैक्ट्री पर उपस्थित गवाहान के सामने नोटिस को चस्पा किया। बाजवदू नोटिस चस्पा के प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार इस भूमि में अवैध फैक्ट्री बनी है जिसके आधार पर भूमिधारक तहसीलदार ने यह वादपत्र संस्थित किया है। वादपत्र दिनांक 07.08. 2007 से दर्ज है लेकिन कभी भी भूमिधारक द्वारा प्रयास नहीं रहा कि प्रतिवादी पर तत्काल एकपक्षीय कार्यवाही कर कठोर कार्यवाही की जावे। प्रतिवादी के उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। राज्य सरकार अवैध फैक्ट्रीयों के बारे में बेहद गंभीर है लेकिन पैरोकार राज अपने दायित्व को ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं।

तहसीलदार का वादपत्र बिना सत्यापन प्रस्तुत हुआ है इसके बावजूद इसे एक वादपत्र के रुप में स्वीकार किया जाकर गुण–अवगुण के आधार पर निर्णय पारित करना उपयुक्त हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पूगल (बीकानेर)

अपने पत्र क्रमांक ... की रिपोर्ट शामिल है। जिस ... किसका है
जिसके साथ हल्का पटवारी की रिपोर्ट शामिल है। जिसे ... ताकि साबित हो सके कि भूमि की मल्कियत किसका है जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की गई है ताकि साबित हो सके कि भूमि की मल्कियत किसका है

जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की गई है ताकि साबित हो सके कि भूमि की मल्कियत किसका है पटवारी की रिपोर्ट पर राज पैरोकार द्वारा प्रकरण और उसकी श्रेणी कमाण्ड/अनकमांड है। पटवारी की रिपोर्ट पर राज पैरोकार द्वारा प्रकरण दिनांक 18.07.2007 को तैयार कर इस न्यायालय को प्रेषित किया है। न्यायालय द्वारा इसे दिनांक 07.08.2007 को दर्ज कर तलबी हेतु आगामी पेशी 12.09.2007 दी है। तलबी का नोटिस पत्रावली अनुसार दिनांक 24.07.2008 को जारी है। यह नोटिस प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी द्वारा निर्मित अवैध चुना फैक्ट्री पर उपस्थित गवाहान के सामने नोटिस को चस्पा किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त है जिस पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर है। तामिल कुनिंदा के हस्ताक्षर तहसीलदार राजस्व, पूगल द्वारा प्रमाणित कर नोटिस इस कार्यालय में भेजा गया है। जो शामिल मिसल है। इस न्यायालय के समक्ष इस विचाराधीन वाद में सार्वजनिक हित सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जिप्सम का अवैध खनन एवं अवैध फैक्ट्री इस क्षेत्र विशेष से जुड़ी समस्या है।

हमने वादी के वादपत्र को एवं प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने के तरीके को गौर से समझा। कानूनी पहलुओं पर विचार किया। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि प्रतिवादी ने बिना कन्वर्जन करवाये अवैध फैक्ट्री का निर्माण कर राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है।

इस वादपत्र के संदर्भ में एक पर्चा मौका दिनांक 18.01.2019 वर्तमान तहसीलदार द्वारा राजस्व पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट से लगा हुआ है, जिसमें अंकित किया है कि वर्तमान में कि. न. 20 में अवैध फैक्ट्री जिप्सम की है जो कि वर्तमान में चालू हालात में है। लेकिन फैक्ट्री का निर्माण किसकी अनुमति से हुआ है, इसका अंकन इस पर्चा मौका रिपोर्ट से नहीं हो रहा है। वादी वादपत्र के प्रति गंभीर नहीं है, जबकि इसमें सार्वजनिक हित का सिधा संबंध है। जिप्सम माफिया अवैध फैक्ट्री का निर्मागण कर व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है।

इस न्यायालय का क्षैत्राधिकार कानून के अन्तर्गत परिभाषित है, सुविधा का संतुल... प्रतिवादी वादी पक्ष ... वादी पक्ष, सार्वजनिक हित के कारण राज्य सरकार के पक्ष में है। प्रतिवादी वादी पक्ष ... लूंज–पूंज स्थिति का लाभ उठा रहा है। कानून के शासन में इस तरह से किसी पक्ष ... कानून तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 19... के अन्तर्गत निर्मित शर्ते, 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 ... धारा 11 व 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों क अनुसरण में प्रति... खातेदार के खाते की भूमि चक 2 बीएलडी के मु.न. 227/37 के कि.न. 20 कुल 1.00 ... अनकमांड की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया ... है। साथ ही खातेदार पर दो हजार रुपये की शास्ति कायम की जाती है। तहसीलदार रा... पूगल के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्रसिंह यादव),
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं,
आवंटन अधिकारी, पूगल